महत्वपूर्ण एवं खास

रोको और टोको अभियान

» लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं टीकाकरण हेतु शहर के एनजीओ कर रहे हैं प्रेरित

रायपुर (आरएनएस)। ज़िला प्रशासन, रायपुर के मार्गदर्शन में राजधानी के एनजीओ नागरिकों को कोरोना से बचाव हेतु प्रेरित करने में जुटे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के वालंटियर्स रोको और टोको अभियान के तहत शहर के चौक-चौराहों एवं सड़कों में घूम-घूमकर लोगों को ठीक से मास्क लगाने, निश्चित दूरी का पालन करने एवं टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज वी द पीपल, यूनिसेफ के वालंटियर्स ने तेलीबांधा क्षेत्र में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन कर संक्रमण नियंत्रण हेतु प्रेरित किया।

न्यायालय परिसर से दीवार फांदकर कैदी फरार हुआ

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला न्यायालय में पेशी के लिए बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना से लाया गया एक आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। जब आईपीसी की धारा 376 के आरोपी राहुल संड्रा पिता शंकर संड्रा उम्र 22 वर्ष को मद्देड़ थाना के उप निरीक्षक सोनाधर कश्यप व आरक्षक रघुनाथ अदालत में पेश करने के बाद न्यायालय परिसर स्थित कैंटीन में भोजन करवा रहे थे। इसी दौरान आरोपी अचानक बाहर निकला और दीवार फांदकर फरार हो गया, आस-पास तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

कोविड नियम का उल्लंघन के आरोप में निजी कंपनी का एजेंट गिरफ्तार

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले में कोविड संक्रमण को रोकने धारा 144 लागू है, इसके बाद भी एक निजी कंपनी के कर्मचारी के द्वारा दंतेवाड़ा के ईदगाह भाटा में लोगों को एकत्रित कर अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। दंतेवाड़ा थाने में इसकी शिकायत मिलने पर दंतेवाड़ा टीआई सौरभ सिंह, उप निरीक्षक हेमशंकर मौके पर पहुंचे। कंपनी के एजेन्ट को इस संबंध में नोटिस दिया गया और पूछताछ की गई। बिना अनुमति के लोगों की भीड़ एकत्रित कर बैठक ली जा रही थी, धारा 144 का उल्लंघन पाये जाने से निजी कंपनी के एजेन्ट महेन्द्र राज निवासी बाड़ाभाटा फरसगांव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 3/2022 धारा 270 आईपीसी, महामारी अधिनियम एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से पत्राचार भी किया जा रहा है।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत होने की रिपोर्ट धरसींवा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश वर्मा पिता प्यारेलाल वर्मा 38 वर्ष ग्राम सिलतरा थाना धरसीवा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 10 जनवरी को वे और उनका साढू अलग–अलग बाइक से परिवार समेत ग्राम मुंगाडीह से वापस सिलतरा धरसींवा आ रहे थे। तभी शाम साढ़े 4 बजे अज्ञात वाहन ने एनएच 30 मार्ग पर साढू वेदराम वर्मा पिता सुकलाल वर्मा 42 साल ग्राम देवादा पाटन को ठोकर मार दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात? वाहन के खिलाफ धारा 304,279 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

पढ़ई तुंहर दुआर में हमारे नायक चुनी गई प्रेमा पटेल

» सफलता की एक कड़ी और जुड़ी रायगढ़ जिले में

» बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से सोलर पैनल दिखाकर उन्हें अनुभव आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का किया प्रयास

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिला शैक्षणिक सफलता के नित नए आयाम गढ़ रहा है। सफलता की कड़ी में आज शासकीय प्राथमिक शाला डोंगीतराई, संकुल केन्द्र डोंगीतराई, विकासखण्ड रायगढ़ में सहायक शिक्षिका एलबी के रूप में कार्यरत श्रीमती प्रेमा तीर्थानंद पटेल, पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम अंतर्गत हमारे नायक चुनी गई हैं एवं जिले का नाम रोशन किया है।

इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। श्रीमती प्रेमा पटेल के अनुसार बच्चे सोलर पैनल को अपने आसपास लगा हमेशा देखते थे पर उन उसको किसने बनाया? कहां बना, कैसे बना, क्यों बना? जैसे सवालों को ना तो सोचते थे ना ही उन्हें कोई बताने वाला था। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले प्रश्न बच्चों के मन में उत्पन्न नहीं होंगे तब तक उनमें किसी भी चीज को देखने का वैज्ञानिक नजरिया नहीं बनता।

वर्तमान समय में शिक्षा का एक आम उद्देश्य भी है और हमारा संविधान भी उसकी पैरवी करता है। प्रेमा पटेल द्वारा सोलर पैनल के प्रत्यक्ष अवलोकन के दौरान बच्चों के साथ सोलर पैनल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्राथमिक कक्षा पांचवी के पर्यावरण में सौर ऊर्जा उसका उपयोग आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता व उसका पर्यावरण और व्यवसाय आदि में क्या महत्व है? इन सारे तत्व को जानने समझने के लिए बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ने लगी और बच्चे बहुत ही सहज होकर तमाम प्रश्न करने लगे जैसे इनको कौन बनाया होगा, क्या हम लोग भी बना सकते हैं? इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? इसकी क्षमता क्या है, साथ ही उनके मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि इससे कितने बल्ब, पंखे आदि चला सकते हैं? अपने सवालों के जवाब बच्चे जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ बच्चे अपने भविष्य के सपने भी देखने लगे। बच्चों की इस जिज्ञासा को काफी हद तक पूरा करने का प्रयास उनके प्रश्नों के उत्तर देकर किया गया। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बहुत से अनुभव साथ लिए होते हैं, पर वे अपने अनुभवों को कितना तार्किक ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं यह कौशल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो वे सभी विषयों में वैज्ञानिक तथ्य ढूंढना शुरू कर देंगे, फिर चाहे विषय हिन्दी, गणित, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्यों ना हो। विकासखण्ड रायगढ़ जिला रायगढ़ के सहायक शिक्षिका श्रीमती प्रेमा पटेल के हमारे नायक चुने जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ आर.पी.आदित्य, डीएमसी समग्र शिक्षा रमेश देवांगन, एपीसी भुवनेश्वर पटेल ने इस कार्य के लिए श्रीमती प्रेमा पटेल को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

श्रीमती प्रेमा तीर्थानंद पटेल कहती हैं कि बच्चों को कुछ करके सिखाया जाता है तो वो अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए उनको समझाने हेतु प्रयोग करके दिखाना एक बेहतर व सहज तरीका है। इससे पहले हमारे शाला के आसपास सोलर पैनल न होने से हमने बच्चों को मॉडल बना के दिखाया था, जिसका सलेक्शन भी जिला स्तर पर हुआ था। इस बार हमने सोलर पैनल को खेत में जाकर दिखाया। यही बाते हैं जो शिक्षा में आवश्यक होती हैं। इस कार्य में मेरे स्टॉफ तथा संकुल के शिक्षकों का विशेष योगदान मुझे मिलता रहा है, जिसके कारण मैं ऐसे कार्य कर पाती हूं। मैं जब भी कक्षा में जाती हूं तो बच्चे मेरे अंदर प्रेरणा जगाते है।

होम आइसोलेशन की गाइडलाइन बदली गई

» आखिरी 3 दिन बुखार नहीं आया तो 7 दिन में ही छुट्टी

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ में भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइन बदली है। नए नियमों के मुताबिक हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों को अब 7 दिन में ही होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब तक होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिन निर्धारित थी।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (ष्टरूह्र) को होम आइसोलेशन के नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए सात दिन का होम आइसोलेशन ही काफी है। आइसोलेशन के आखिरी तीन दिनों यानी 5वें, 6वें और 7वें दिन मरीज को बुखार न आए तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

डिस्चार्ज करने से पहले किसी कोविड जांच की आवश्यकता नहीं होगी। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक बिना लक्षण वाले मरीज उनको कहा गया है, जिनको बुखार और खांसी नहीं है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 93 से अधिक है। कमजोर लक्षण वाले मरीजों की श्रेणी में उनको रखा गया है जिन्हें जुकाम, गले में खराश और बुखार तो है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 93 से कम नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय महिला आयोग 33 प्रतिशत् आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र को भेजे पत्र - डॉ. नायक

» धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य महिला आयोग के मध्य हुआ इंटरेक्टिव बैठक

रायपुर (आरएनएस)। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में विगत 7 और 8 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य राज्यों के महिला आयोग के मध्य इंटरेक्टिव बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में घरेलू हिंसा में महिलाओं की सहायता, कानून में संशोधन और पुनर्वास विषय पर छत्तीसगढ़ में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दिया गया। जिसमें यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा निरन्तर न्यायालयीन जनसुनवाई किये जाने के साथ ही महिलाओं की प्रताड़ना के विषय मे त्वरित कार्यवाही किया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं के रहवास और पुनर्वास के संबंध में भी त्वरित कार्यवाही किया जाता है। एक वर्ष में लगभग 1500 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई तथा 500 से अधिक प्रकरणों का निराकरण के साथ 100 प्रकरणों पर नियमित निगरानी आयोग द्वारा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में किये जा रहे कार्यों की सराहना सभी राज्य महिला आयोगों ने किया है। दूसरे दिन 8 जनवरी के सत्र में 6 राज्यों के आयोग अध्यक्षों के द्वारा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और सहायता विषय पर अपने अपने राज्यों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा किया गया। इस पूरे सत्र का संचालन डॉ. नायक के द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया।

इसी सत्र में अन्य विषय ष्राजनीति में आने वाली महिलाओं के ऊपर समस्या और उसमें किये जा रहे कार्यों पर आयोग के क्या विचार हैष्, इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय आया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत् आरक्षण अनिवार्य किये जाने बाबत सहमति केन्द्रीय स्तर पर प्रस्ताव बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

बच्चों के संक्रमित होने से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हुए, नाइट कर्फ्यू लगा

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने के साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले के प्रसार को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आगामी आदेश तक जिले में संचालित सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने का आदेश के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार की देर रात उक्ताशय का आदेश जारी किया है। जिसके तहत सम्पूर्ण बस्तर जिले में अब रात 09 से सुबह 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान्न रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क के किनारे स्थित ढाबा रात्रि 11 बजे के बाद भी बस, ट्रक एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए खुले रहेंगे।

जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला, मंडई एवं अन्य प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 लोगों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम तहसील कार्यालय, थाना, चौकी, नगर निगम, नगर पंचायत कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा। किसी भी कार्यक्रम में 200 लोगों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित एसडीएम की लिखित अनुमति लेनी होगी।

बस्तर जिले के सभी शासकीय, अशासकीय शिक्षण संस्थान (कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित) आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड इडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाएं आनलाइन माध्यम से ली जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है, उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड देना होगा। बस्तर जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा जाएगा।

जगदलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर राज्य ये बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की आरटीपीसीआर टेस्ट की जाएगी। सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।

82 किलो गांजा के साथ दो गांजा तस्कर गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के दरभा थाना को अवैध गांजा परिवहन की मिली सूचना पर दरभा थाना के सामने मोबाईल चेक पोस्ट लगाकर जांच के दौरान छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी-12-एस-2998 में सवार 02 गांजा तस्कर पिन्टु यादव एवं पवन कुमार गौतम निवासी उत्तर प्रदेश के कब्जे से 82 किलोग्राम गांजा बरामद कर दोनो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध गांजा परिवहन कर मलकानगिरी से जगदलपुर होते हुए उत्तरप्रदेश जाने के लिए निकले दोनो गांजा तस्कर पिन्टु यादव एवं पवन कुमार गौतम के विरूद्ध थाना दरभा में 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के कब्जे से 82 किलोग्राम गांजा के अतिरिक्त 01 छोटा हाथी वाहन, 02 नग मोबाईल, 2630 रूपये नगद एवं वाहन के कागजात जप्त किया गया है। जप्तशुदा गांजा की अनुमानित बाजार मूल्य 04 लाख 10 हजार रूपये आंकी गई है।

गुमशुदा छात्र की हत्या करने वाले दो युवक 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

» प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

कोरबा (आरएनएस)। जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता छात्र की चाकू से हत्या करने वाले दो युवकों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। 8 जनवरी को प्रार्थी राजेश कुमार शांडिल्य पिता मुन्नालाल शांडिल्य, उम्र 45 वर्ष, निवासी मोती सागर पारा कोरबा थाना उपस्थित आकर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका लड़का दीपेश शांडिल्य दिनांक 8-1-22 के शाम करीबन 5.25 बजे घर से फोन पर बात करते हुए घर से निकला जो वापस नहीं आया कि सूचना पर थाना कोतवाली में गुम इंसान क्रमांक 6/22 दर्ज कर गुम इंसान की पतासाजी की जा रही थी। गुमशुदा छात्र के परिजनों द्वारा अनहोनी की आशंका व्यक्त करने पर घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल को अवगत करा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर गुमशुदा छात्र के बारे में उनके दोस्तों एवं आसपास लोगों से बारीकी से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर सनी ठाकुर एवं दीपेश शांडिल्य के मध्य एक ही लड़की के प्रेम संबंध के कारण वाद विवाद एवं हाथापाई चालू हो गया जिस पर पहले दीपेश द्वारा बाजारू चाकू से विजय यादव पर हमला कर दिया इसके बाद विजय यादव द्वारा दीपेश को पीछे से पकड़ा गया तथा दीपेश से चाकू को छीन कर सनी ठाकुर द्वारा चाकू से उसके पेट, पीठ और कमर के नीचे लगातार अनेकों वार किए गए जब तक दीपेश शांडिल्य खत्म नहीं हो गया। इसके बाद विजय यादव एवं सनी ठाकुर मिलकर लाश को उठाकर रेलवे कॉलोनी के सामने सब स्टेशन के पास दोनों दो रेलवे ट्रैक के बीच झाड़ी के बीच छिपा कर लाश को झाड़ी से ढक दिए तथा मृतक के मोबाइल को बंद कर वही झाड़ी में फेंक दिए थे। इसके बाद दोनों आरोपी द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू को शनि मंदिर के पास नहर में फेंक दिए तथा हाथ पैर धो कर अपने घर चले गए बताए। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के बताए हुए घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर रेलवे ट्रैक झाड़ियों के बीच से गुमशुदा छात्र दीपेश शांडिल्य के शव को बरामद कर लिया गया तथा हत्या में प्रयुक्त चाकू को शनि मंदिर के पास नहर से बड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया।

ब्लॉक स्तरीय लेखन गणितीय, विज्ञान कौशल एवं प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

» माध्यमिक, हाई व हायर सेकेंडरी के बच्चों ने विज्ञान प्रोजेक्ट वर्क द्वारा दिखाई अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझ व रचनात्मक प्रतिभा

रायगढ़। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायपुर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ आर.पी.आदित्य के निर्देशन व डीएमसी समग्र शिक्षा रायगढ़ रमेश देवांगन के मार्गदर्शन में 11 जनवरी को समग्र शिक्षा विकास खंड रायगढ़ द्वारा, पढ़ई तुंहर दुआर 2.0 अंतर्गत समयबद्ध कार्यक्रम विकासखंड स्तरीय लेखन, गणितीय, विज्ञान प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विकासखंड रायगढ़ के शासकीय माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेंडरी के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं ने अपने लेखन कौशल, गणितीय कौशल व विज्ञान प्रोजेक्ट वर्क के प्रदर्शन के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

विदित हो कि बच्चों में विभिन्न स्तरों पर मूलभूत गणितीय कौशल विकास, सृजनात्मक लेखन कौशल, गणित विषय में दक्षता बढ़ाने, विज्ञान में प्रयोगों का प्रदर्शन अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के निर्माण के द्वारा बच्चों को विचार करने और नए विचारों तथा भाषाओं को कार्यान्वित करने के अवसर प्रदान करने, विद्यार्थियों में नए कौशलों और संकल्पनाओं के माध्यम से काम करने और अच्छा काम करने के सुविधाजनक तरीके प्रदान करने के उद्देश्य लिए, बच्चों की उपलब्धि में सुधार के साथ-साथ कोरोना काल में हुए लर्निंग लॉस को कम करने के निहित उद्देश्य लिए यह ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।'

बीआरसी रायगढ़ मनोज अग्रवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता के जरिए जहां हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर बच्चों में हिन्दी, अंग्रेजी पढ़ने में रुचि, लेखन गति के साथ समझ विकसित करने, विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रयोगों, गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करने का अवसर मिल रहा है, वहीं मिडिल स्कूल स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन कौशल सहित गणितीय विषय में दक्षता बढ़ाने व विज्ञान में प्रयोगों के प्रदर्शन के द्वारा विद्यार्थियों में उनके कौशलों में अभिवर्द्धन के साथ उनकी उपलब्धियों व दक्षता का परीक्षण भी संभव हो पा रहा है।'

हस्त पुस्तिका निर्माण व लेखन कौशल अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान पटेलपाली व तरकेला संकुल से कुमारी सिमरन पटेल कक्षा सातवीं माध्यमिक शाला पटेलपाली व हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रथम स्थान महापल्ली संकुल से कुमारी मानसी चौहान कक्षा ग्यारहवीं हायर सेकेंडरी स्कूल महापल्ली, गणितीय कौशल अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान नगर पालिका निगम संकुल से स्नेहिल कश्यप माध्यमिक शाला रामभाठा व हायर सेकेंडरी स्तर पर तारापुर संकुल से गणेश राणा कक्षा बारहवीं हायर सेकेंडरी तारापुर, विज्ञान के प्रयोग प्रदर्शन अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों क्र सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU